न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

सुरेश बनाम जलधारी

प्रार्थना पत्र संख्या– 02/57 /2024

22.02.2024

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खाता संख्या 128 खसरा संख्या 292/0.8900, खाता संख्या 129, खसरा संख्या 303/0.50, 304/0.55 वाके ग्राम मूनपूर तहसील राजगढ़ जिला अलवर में स्थित है। उक्त विवादित आराजी किसी भी भाग को दीगर शख्सों को जरिये रहन बय हिबा दान आदि के मुन्तकिल नही करें और कोई भी मुन्तकिली का दस्तावेज तहरीर व पंजीकृत नही करावें। तथा वादीगण के साथ झगडा फिसाद ना करें।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि विवादित आराजी के प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि के संबंध में सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः अप्रार्थीगण को विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। अतः पृथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में अप्राथीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आगामी तारीख पेशी तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि *विवादित आराजी खाता संख्या 128 खसरा संख्या 292/0.8900, खाता संख्या 129, खसरा संख्या 303/0.50, 304/0.55 वाके ग्राम मूनपूर तहसील राजगढ जिला अलवर का बेचान नही करें साथ ही रिकार्ड एवं मौके की यथास्थित बनाये रखें।* अप्रार्थीगण जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। एवं प्रार्थीगण रजिस्ट्रर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करे। इस संबध में अप्रार्थीगण कोई आक्षेप हो तो दिनांक 12.04.2024 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें।

SSR

उपखण्ड अधिकारी राजगढ

जिला–अलवर

12/4/24

पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 30/5/24 को पेश हो।

रीडर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
02/01/25 पत्रावली पेश हुई। मूलवाद पर प्रार्थना पत्र 01R10 स्वीकार किया गया। कार्यवाही हेतु ③ दिनांक 17/02/25 को पेश हो। SDO 17/02/25 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 18/3/25 को पेश हो। रीडर 11/06/25 पत्रावली इकजाई पेशी से दि. 29-07-25 नियत हो। प्रार्थी श्री सुरेश व वकील वादी श्री D.C. मीना ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की प्रार्थी व अप्रार्थी मे आपसी सहमती से प्रार्थना पत्र 212 की कार्यवाही ड्रोप मे अस्थाई निषेधाज्ञा हटाने पर सहमती कर प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी व स्वयं वकील प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली मुलवाद के साथ तलब की गई। हावद और प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया गया। और प्रार्थना पत्र 212 की कार्यवाही ड्रोप करने के आदेश दिये जाते है। साथ ही हुजा-पाया के पूर्व आदेश दि. 22-02-24 को भी इसी स्तर पर ड्रोप किया जाता है। पत्रावली हावद पूर्ति मुलवाद के साथ संलग्न हो। मुलवाद सं० 01158/2024 SDO उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ जिला-अलवर	सुरेश नं.3 प्रार्थी D.C.पं [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़